present Rs. 35 Lakhs to Rs. 60 Lakhs and ancillary industries from the present Rs. 45 Lakhs to Rs. 75 Lakhs. These have, however, not been operationalised.

In the meantime, the Government of Karnataka issued a circular regarding enhancement of limit of SSI and ancillary units, as mentioned above. The Government of Karnataka have been advised that such a circular has no legal validity as a Notification under the Industries (Development and Regulation) Act is necessary for such an enhancement to take effect.

The above policy measures announced in May, 1990 is presently under consideration of the Government.

(c) Yes, Sir. The eligible claims of Karnataka will be reimbursed as and when funds become available for the purpose.

Taking over of private sick Companies

775. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Andhra Pradesh Chamber of Commerce has suggested to Government for pruning of public enterprises as reported in the Indian Express of 16th February, 1991;

(b) whether it is a fact that the Central Government has taken over many private 'Sick' companies at considerable public cost; and

(c) whether the FICCI and other Chambers of Commerce, such as in Andhra Pradesh will be asked to share the losses of 'Sick' private firms taken over by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) and (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Under the provisions of Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Government has so far taken over the management of 55 industrial undertakings in the public interest.

जबलपुर, मध्य प्रदेश में हरदुआ [illegible] स्थान पर [illegible]

776. क्या [illegible] करने की [illegible] करेंगे कि :

(क) [illegible] में जबलपुर [illegible] की [illegible] ने हरदुआ [illegible] स्थान पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विस्फोटक कारखाने के निर्माण को रोकने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उपरोक्त कारखाना स्थापित करने के लिए 180 हेक्टेयर भूमि निर्धारित की है, जिसमें से 100 हेक्टेयर भूमि निजी पार्टियों की है ; और

(ग) उपरोक्त विस्फोटक कारखाने के निर्माण स्थल पर एकत्रित सामग्री की मात्रा तथा स्वरूप के बारे में ब्यौरा क्या है और क्या यह सामग्री अभी भी उस स्थल पर पड़ी हुई है और इस सामग्री की कुल लागत क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने 52 प्राइवेट पार्टियों की 104.214 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था जिस पर मैसर्स इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा विस्फोटक सामग्री बनाने का संयंत्र लगाया जाना था किन्तु यह एकक स्थापित नहीं हो सका। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि अधिग्रहित भूमि पर कोई निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था इसलिए उस स्थल पर अब भी सामग्री पड़े रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उस स्थान पर विस्फोटक सामग्री एकक के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है अथवा अनुमोदन किया गया है।